कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पत्रांकः–24297-371 / दस–लाइसेंस–367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018–19

दिनांक :इलाहाबाद : जून 05 ,2018

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–वर्ष 2018–19 हेतु मदिरा की दुकानों के पंचम चरण में व्यवस्थापन विषयक।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–16905–16979 / दस–लाइसेंस–367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018–19 दिनांक इलाहाबाद मई 20 ,2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त पत्र द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु मदिरा की दुकानों के पाँचवें चरण का व्यवस्थापन ई–टेण्डर / आफर मांगकर कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। ई–टेण्डर / आफर की टेक्निकल बिड दिनांक 05.06.2018 को एवं फाइनेंशियल बिड दिनांक 06.06.2018 को खोला जाना निर्धारित किया गया था।

अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त ई–टेण्डर / आफर की प्रकिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

पत्रांकः 24372–640 / दस–लाइसेंस–367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018–19 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी विभाग, बापूभवन, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– राज्य सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि समस्त जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से उपरोक्त आदेश से अवगत कराने का कष्ट करें।
4– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6– संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का प्रदर्शन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का प्रदर्शन जनपद की वेबसाइट एवं ई–टेण्डर पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें।
9– आबकारी आयुक्त द्वारा नामित समस्त सदस्य, जिला स्तरीय समिति, उ0प्र0।
10– गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(अ0म0 त्रिपाठी)
अपर आबकारी आयुक्त,
(लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास)
उत्तर प्रदेश